

11/1/23

पत्रावली पेश हुई। प्रस्ताव से संबंधित माननीय
राजस्थान मंडल के आदेश दिनांक 01/12/21 की
प्रति जरिये डाक प्राप्त हुई। उक्त आदेश
के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव
में राजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश
दिनांक 17/12 के विरुद्ध रेषो. सं. 01 द्वारा
माननीय राजस्थान मंडल के समस्त निगमनी उम्दा
की गई। उस निगमनी के अन्तर्गत माननीय
राजस्थान मंडल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11/2/21
द्वारा राजा न्यायालय (PBB पाली एवं अडापक)

कलेक्टर एवं उपरवठ अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाकर सहायक कलेक्टर एवं उपरवठ अधिकारी शर्मा को उनके समय विन्यायधीन मूल शर्षना पत्र अम्बार्ड निषिधाजा के मोवेन्ट पर दोनों पक्षों के सुनकर एक माड में विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया। तब तब वादग्रस्त शायजी पर आज दिनांक 14/12/2021 को मौक व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाने रखने बाबत उभयपक्ष को पावन्द किया गया। उभयपक्ष को सहायक कलेक्टर एवं उपरवठ अधिकारी शर्मा के न्यायालय में दिनांक 14/12/2021 को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया।

उक्त निर्णय के अन्तर्गत आज न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम व्यादेश दिनांक 07/12/21 को निरस्त किये जाने एवं प्रकरण 500 को रिमांड किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील का कोई मौकियत नही रह जाता है। अतः उक्त अपील सारडीन होने से खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली